# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 1381/2011**

चमन प्रकाश गुप्ता **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. डी.ई.ओ., प्राथमिक शिक्षा, करौली।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 14.11.2011
**आदेश की दिनांक** : 02.01.2024

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
**प्रत्यर्थीगण की ओर से** : श्री जगन्नाथ खांण्डपा, राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 12.08.2009 एवं 15.09.2009 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को नियमानुसार उचित अवकाश प्रदान कर समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें तथा चिकित्सकीय बिल भुगतान का भी आदेश फरमाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, Khidarpur, पंचायत समिति, सपोटरा, जिला करौली में कार्यरत है। उनका कथन है कि प्रथम नियुक्ति दिनांक 02.09.1999 को हुई थी और अपीलार्थी के गंभीर बीमार होने के कारण चिकित्सकीय अवकाश दिनांक 20.08.2001 से 22.12.2001 तक के लिए आवेदन किया था, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने चिकित्सकीय बिल भुगतान हेतु प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत किए, जो अनुलग्नक–2 से प्रकट होता है, जिनका प्रत्यर्थी विभाग द्वारा न तो भुगतान किया गया है और न ही चिकित्सकीय अवकाश स्वीकृत किए गए और न ही 124 दिवस की सेवा नियमित की गई तथा आदेश दिनांक 12.08.2009 के द्वारा आदेश दिनांक 15.09.2009 के द्वारा अपीलार्थी की सेवाओं को दिनांक 23.12.2001 से पूर्व सेवाएं जब्त कर दी गईं। उनका कथन है कि राजस्थान सेवा नियम के

नियम 86 के अंतर्गत यदि कोई कार्मिक बिना अवकाश के अनुपस्थित है तो उसकी सेवाएं बाधित न करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा अवकाश स्वीकृत किए जा सकते हैं। इसी प्रकार नियम 96 में निम्नलिखित उल्लेख है :–

> *"(i) When no other leave is by rule admissible, or*
> *(ii) When other leave is admissible, but the Government servant concerned applied in writing for the grant of extraordinary leave."*

अपीलार्थी की नियुक्ति नियमित नियुक्ति है और उसके अवकाश अवधि की सेवाओं को जब्त नहीं किया जा सकता। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमों के विपरीत जाकर अपीलार्थी के चिकित्सकीय अवकाश की अवधि की सेवाओं को आलोच्य आदेश दिनांक 12.08.2009 एवं 15.09.2009 द्वारा जब्त किया गया है, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 12.08.2009 एवं 15.09.2009 को अपास्त फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी नियुक्ति के समय से ही अपने कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाह एवं अनियमित रहा है और इसके पूर्व में भी समय–समय पर दिनांक 29.10.1999 से 15.11.1999, दिनांक 10.01.2000 से 15.01.2000, दिनांक 27.03.2000 से 31.03.2000, दिनांक 01.04.2000 से 19.04.2000, दिनांक 17.11.2000 से 23.11.2000, दिनांक 09.01.2001 से 04.03.2001, दिनांक 16.03.2001 से 31.03.2001 एवं दिनांक 01.05.2001 से 04.05.2001 अवधि में ड्यूटी से अनुपस्थित रहा है। उक्तानुसार जारी आदेश दिनांक 12.08.2009 और दिनांक 15.09.2009 विधि सम्मत है। अपीलार्थी को बीईईओ कार्यालय के एबीईईओ द्वारा विद्यालय निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाये जाने पर बीईईओ कार्यालय के पत्रांक 734 दिनांक 23.11.2001 एवं 762 दिनांक 28.04.2003 नोटिस दिया गया किन्तु अपीलार्थी द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। उक्तानुसार प्रार्थी के संबंध में जारी आदेश दिनांक 12.08.2009 एवं दिनांक 15.09.2009 विधिक है। अपीलार्थी द्वारा चिकित्सा बिल पुर्नभरण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्तानुसार जारी आदेश दिनांक 12.08.2009 एवं दिनांक 15.09.2009 विधिक है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, Khidarpur, पंचायत समिति, सपोटरा, जिला करौली में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 02.09.1999 को हुई थी और गंभीर बीमार होने के कारण चिकित्सकीय अवकाश दिनांक 20.08.2001 से 22.12.2001 तक के लिए आवेदन किया था, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने चिकित्सकीय बिल भुगतान हेतु प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत किए, जिनका प्रत्यर्थी विभाग द्वारा न तो भुगतान किया गया है और न ही चिकित्सकीय अवकाश स्वीकृत किए गए और न ही 124 दिवस की सेवा नियमित की गई तथा आदेश दिनांक 12.08.2009 के द्वारा आदेश दिनांक 15.09.2009 के द्वारा अपीलार्थी की सेवाओं को दिनांक 23.12.2001 से पूर्व सेवाएं जब्त कर दी गई। अपीलार्थी की नियुक्ति नियमित नियुक्ति है और उसके अवकाश अवधि की सेवाओं को जब्त नहीं किया जा सकता। जहां तक अपीलार्थी को चिकित्सकीय अवकाश स्वीकृत एवं चिकित्सा बिल पुर्नभरण नहीं किए जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि अपीलार्थी की सेवाएं अस्थाई और तीन वर्ष से कम की अवधि की होने के कारण अनुपस्थित अवधि दिनांक 09.10.1999 से 22.12.2001 तक की सेवाएं सक्षम अधिकारी द्वारा फोरफिट कर दी गई। राजस्थान सेवा नियम के नियम 95 में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :–

> *''**नियम 95. सेवा में व्यवधान के बिना स्थायी रूप से नियुक्त अस्थायी कर्मचारी को अवकाश :** एक राज्य कर्मचारी जो अस्थाई सेवा में हो, जब सेवा में व्यवधान के बिना ही यदि किसी स्थाई पद पर स्थाई रूप से नियुक्त कर दिया जाता है तो उसको पूर्व की सेवा में अर्जित अवकाशों को जो उसके सेवा अभिलेख में जमा हैं, और उसे पूर्व में ही स्थाई सेवा में होने पर प्राप्त होते, के अन्तर को आगे जमा किया जावेगा। इस नियम के अनुसार अवकाश अवधि को सेवा में व्यवधान नहीं माना जाता है।''*

उक्त प्रावधानानुसार भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा चिकित्सा अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया। जहां तक अपीलार्थी ने चिकित्सा बिल पुर्नभरण हेतु बिल प्रस्तुत नहीं किए जाने का प्रश्न है, ऐसी स्थिति में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी इस आदेश के जारी होने की दिनांक से दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में एक माह की अवधि में राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार गुणावगुण के आधार पर आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर

अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**